भाग–III

सल्ला–सैल से रौतगढ़ मोटर मार्ग – 7.450 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 7789 / 2014)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ / नही) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नही।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भागः ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	इस कार्यालय के पत्रांक 1764 / 12–1 दिनांक 04.02.2015 व पत्रांक 1963 / 12–1 दिनांक 25.02.2015 से सूचित आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ व याचक विभाग स्तर से सूचित पत्र 2499 / 12–1 दिनांक 20.03.2015 व पत्रांक 125 / 3–पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 05.02.2015 में सूचित स्पष्टीकरण का संज्ञान लेकर इस कार्यालय के संलग्न पत्र 2181 / 12–1 दिनांक 27.03.2015 में किये गये उल्लेख के अनुरूप सहमत। इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 27.03.2015 मय संलग्नकों के संलग्न है (संलग्न 1 से 4)।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने **वाले 0–10 व 10–20 व्यास** श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांकः– 27.03.2015
स्थानः– अल्मोड़ा।

28/3

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 2181 / 12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 27.03.2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :– सल्ला–सैल से रौतगढ़ मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव **(प्रस्ताव संख्या–7789 / 2014)।**

संदर्भ :– **इस कार्यालय द्वारा आपत्ति में वापस किया गया प्रस्ताव दिनांक 04.02.2015।**

महोदय,

जनपद पिथौरागढ़ में मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित **प्रस्ताव संख्या 7789 / 2014 (सल्ला सैल से रौतगढ)** का ऑन–लाइन प्रस्ताव याचक विभाग से प्राप्त होने पर उसमें प्राप्त कमियों का उल्लेख कर यह **प्रस्ताव दिनांक 04.02.2015** को आपत्ति में वापस किया गया था।

प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप आपत्ति निस्तारण के पश्चात यह प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्राप्त होना चाहिए था, परन्तु याचक विभाग द्वारा आपत्ति निस्तारण के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से प्रेषित यह प्रस्ताव अब वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त के **Reccommondation Window** में तो दर्शित हो रहा है परन्तु **EDS व SIR Window** में दर्शित नही हो रहा है और इस कारण इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही हो पा रही है। इस स्थिति के फलस्वरूप यह प्रस्ताव काफी लम्बे समय से अनिस्तारित पड़ा हुआ है।

इस सम्बन्ध में कई बार आपके कार्यालय से संम्पर्क कर निस्तारण हेतु दिशा निर्देश चाहे गये थे परन्तु कोई समाधान न हो पाने के कारण अब इस प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव के निस्तारण हेतु याचक विभाग से निस्तारित आपत्ति को अतिरिक्त रूप से अलग से / स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर इसे आपत्ति का निस्तारण मानते हुए इसी के आधार पर इस स्तर से प्रपत्र 3 में सूचनाऐं भर कर इस प्रस्ताव की संस्तुति आपको प्रेषित की जा रही है।

कृपया विचार कर अग्रिम कार्यवाही करना चाहें। सुविधा के लिए प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ व याचक विभाग से प्रेषित आपत्तियों के निराकरण से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

संलग्नक– 1 से 4

भवदीय
27/03

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

''उत्तराखंड वन सदैव आपके संग''

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
दूरभाष / फैक्स नं0– ☎ (05964) 225234

पत्रांक 2499/ 12-1 दिनांक, पिथौरागढ, 20-3-2015 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड,अल्मोडा ।

विषयः– **सल्ला सेल रोतगड़ प्रस्ताव संख्या 778 के संबंध में।** (6.79 है)

संदर्भः– आपका पत्रांक 1962 / 12–1 दिनॉक 25–2–2015 ।

महोदय,

संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा अपलोड किए जाने पर System की खराबी के कारण प्रभागीय कार्यालय में प्राप्त न होकर जम्प कर सूचना आपके कार्यालय को दर्शित हो रही है।

अतः सूचना आपको e-mail के माध्यम से पुनः प्रेषित की जा रही है। कृपया सूचना अपने स्तर से उच्च स्तर को अपलोड करने की कृपा करें।

संलग्नः– 3 प्रपत्र ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

Girth Classwise वृक्षों की सूचीः–

मोटर मार्ग का नामः– सल्ला सेल से रोतगड़ मोटर मार्ग का निर्माण 5.933 हे0

S.No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)	(61-90)	(91-120)	(121-150)	150
1.	Soria robsta	Sal	25	8	7	4	-
2.	Acenda beautiracia	Chura	5	2	4	1	3
3.	Accacia catechu	Khair	2	-	-	-	-
4.	Mangifera indica	Aam	2	6	-	1	-
5.	Kukat ply	Khukat	5	4	3	-	-

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

10 FEB 2015

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0, पिथौरागढ़।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

फोन / फैक्स 05964–226685 ई–मेल – eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 125 / 3 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 5–02–2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वनप्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सल्ला–सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग एवं सल्ला से सेल–रौतगड़ा मोटर मार्गो में वनसंरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत, अल्मोड़ा की आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपोजल सं0 FP/UK/ROAD/7598/2014 में मोटर मार्ग का नाम सल्ला–सेल से रौतगड़ा अंकित है। इस मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 1880 / पी 3–19 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 11 दि0 23–12–2011 के अनुसार ग्राम सेल आबादी 526 की बसावट को जोड़ने हेतु प्रदान की गयी थी। इस मोटर मार्ग से रौतगड़ा संयोजित नहीं होना था।

प्रपोजल सं0 FP/UK/ROAD/7789/2014 मोटर मार्ग का नाम सल्ला से रौतगड़ा जिसकी स्वीकृति शासनादेश सं0 2491 / पी 3–14 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 10 दि0 18–03–2010 द्वारा 279 आबादी की बसावट रौतगड़ा को जोड़ने हेतु प्रदान की गयी थी रौतगड़ा बसावट सल्ला–सेल मोटर मार्ग के विस्तार से संयोजित होनी थी, इस कारण इस मोटर मार्ग का नाम भी सल्ला–सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग अंकित किया गया।

उक्तानुसार दोनों शासनादेशों के अनुसार पृथक–पृथक बसावटों को जोड़ने हेतु पृथक–पृथक मार्ग की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी थी तदनुसार प्रस्ताव भी पृथक–पृथक तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः– वनसंरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।